पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

Email ID :-eepmgsyjyolikot@rediffmail.com/ ntl.pmgsy@gmail.com   दूरभाष नं0 / फैक्स नं0 :– 05942–224034

पत्रांक : 403 / वनभूमि / 2022–23   दिनांकः 28/06/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **जनपद–नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (फेज–VIII) के अर्न्तगत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।**

सन्दर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का प0:– 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 07 / 2018 / एफ.सी. / 1271 दि0 24.12.2021।
2. कार्यालय अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–2389 / FP/UK/ROAD/23279/2016 दिनांक 17.04.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके कम में आपके द्वारा जनपद–नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (फेज–VIII) के अर्न्तगत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के कम में 03 बिन्दुओं की आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में महोदय अवगतनीय है, कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 80 / वनभूमि / 2021–22 दिनांक 01.02.2022 (छायाप्रति संलग्न), जो कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वनप्रभाग, नैनीताल को सम्बोधित एवं प्रति आपको पृष्ठांकित की गयी है, के कम में उक्त 03 बिन्दुओं की आख्या पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। तत्पश्चात कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के द्वारा पत्रांक 4601 / 13–2(1) दिनांक 08.03.2022 एवं पत्रांक 5242 / 13–2(1) दिनांक 10.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के कम में उक्त 03 बिन्दुओं की आख्या कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ, वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सम्बोधित एवं प्रति आपको पूर्व में प्रेषित की गयी थी।

अतः आपको पूर्व में प्रेषित उक्त 03 बिन्दुओं से सम्बन्धित आख्या की छायाप्रति संलग्न कर पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

पत्रांक : / वनभूमि / 2022–23 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से भी उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

D:\Forest ltr\final ltr.docx\22

पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

Email ID :-eepmgsyjyolikot@rediffmail.com/ ntl.pmgsy@gmail.com दूरभाष नं0 / फैक्स नं0 :– 05942–224034

पत्रांक : /वनभूमि/2022–23 दिनांक: 28/06/ 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **जनपद–नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (फेज–VIII) के अर्न्तगत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।**

सन्दर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का प0ः– 8बी/यू.सी.पी./06/07/2018/एफ.सी./1271 दि0 24.12.2021।
2. कार्यालय अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–2389/FP/UK/ROAD/23279/2016 दिनांक 17.04.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके कम में आपके द्वारा जनपद–नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (फेज–VIII) के अर्न्तगत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के कम में 03 बिन्दुओं की आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में महोदय अवगतनीय है, कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 80/वनभूमि/2021–22 दिनांक 01.02.2022 (छायाप्रति संलग्न), जो कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वनप्रभाग, नैनीताल को सम्बोधित एवं प्रति आपको पृष्ठांकित की गयी है, के कम में उक्त 03 बिन्दुओं की आख्या पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। तत्पश्चात कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के द्वारा पत्रांक 4601/13–2(1) दिनांक 08.03.2022 एवं पत्रांक 5242/13–2(1) दिनांक 10.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के कम में उक्त 03 बिन्दुओं की आख्या कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ, वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सम्बोधित एवं प्रति आपको पूर्व में प्रेषित की गयी थी।

अतः आपको पूर्व में प्रेषित उक्त 03 बिन्दुओं से सम्बन्धित आख्या की छायाप्रति संलग्न कर पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

पत्रांक : 403/वनभूमि/2022–23 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से भी उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

D:\Forest ltr\final ltr.docx\22

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

Email ID :-eepmgsyjeyolikot@rediffmail.com/ ntl.pmgsy@gmail.com दूरभाष नं0 / फैक्स नं0 :– 05942–224034

पत्रांक : / वनभूमि / 2021–22 दिनांकः01-02- 2022

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वनप्रभाग नैनीताल

विषयः– **जनपद–नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–VIII) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या** FP/UK/ROAD/23279/2016)

सन्दर्भः– कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 1681 / FP/UK/ROAD/23279/2016 देहरादून दि0 10.01.2022।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयक प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर– मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्रांकः– 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 07 / 2018 / एफ.सी. / 1587 दि0 31.10.2018 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित बिन्दुओं / शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् हैः–

शर्त संख्या	विवरण	अनुपालन आख्या
1	बिन्दु क्रं0 2 के सापेक्ष वर्तमान में नोडल कार्यालय द्वारा प्रस्ताव मे आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते है अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 की अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।	(मलुवा निस्तारण प्लान) Part-I Section A1 B2.4 मे नाप भूमि PIU स्तर पर लॉक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 470 / वनभूमि / 2018–19 दिनांक 30.08.2018 द्वारा संरक्षक एंव नोडल अधिकारी देहरादून को NIC से Open करने हेतु लिखा गया है इस क्रम मे नोडल देहरादून द्वारा NIC को अपने पत्रांक 649/FP/UK/ROAD/23279/2016 दि0 05.09.2018 एंव इस कार्यालय 529 / वनभूमि / 2021–22 दि 25.06.2021 द्वारा तकनीकी निराकरण करने हेतु लिखा गया है। परन्तु Form-A Section A -1B 2-4 वर्तमान तक लॉक है। (अनुलग्नक–01)

	बिन्दु क्र0 4 के सापेक्ष, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी0ए0 योजना मे चयनित क्षेत्र के लिए Digital Map एंव अन्य Details जैसे Species में नाम इत्यादि प्रस्तुत करने का कष्ट करें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी0ए0 योजना मे चयनित क्षेत्र के लिए Digital Map Form-A Section L–(VI) मे अपलोड की गयी है, अन्य Details जैसे Species में नाम इत्यादि आपके स्तर से अपेक्षित है। (अनुलग्नक–02)
3	सैद्धान्तिक स्वीकृत पत्र मे अंकित शर्त सं0 01 के सापेक्ष मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नही हैं । इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, इस दशा मे विधिवत् स्वीकृति प्रदान नही की जा सकती है, अतः आप से अनुरोध है कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें	सैद्धान्तिक स्वीकृत पत्र मे अंकित शर्त सं0 01 के सापेक्ष मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कार्यालय जिलाधिकारी के पं0 1540/12–ज्येड0ए0सी0/ 2018 दि0 10.01.2019 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर दी गयी हैं ।(अनुलग्नक–3.1 एंव 3.2)

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(के0एस0बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

पत्रांक : 80 /वनभूमि/ 2021–22 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com *Telefax.05942-236790*

पत्रांकः– /13-2(1) दिनांक 8/3 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :– **जनपद नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–3) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लूक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/23279/2019)**

संदर्भ :– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी, देहरादून की पत्र संख्या 1681/FP/UK/ROAD/23279/2016 देहरादून दिनांक 10.01.2022 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट की पत्र संख्या 80/वनभूमि/2021–22 दिनांक 01.02.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी/06/07/2018/एफ.सी0/187 दिनांक 31.10.2018 में उल्लिखित बिन्दुओं/शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है –

शर्त संख्या	विवरण	अनुपालन आख्या
1	बिन्दु क्रं 2 के सापेक्ष वर्तमान में नोडल कार्यालय द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 की अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।	(मलुवा निस्तारण प्लान) में नाप भूमि PIU स्तर पर लॉक है, जिसकी सूचना कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट के पत्रांक 470/वनभूमि/2018–19 दिनांक 30.08.2018 द्वारा संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को NIC से Open करने हेतु लिखा गया है। इस क्रम में नोडल देहरादून द्वारा NIC को अपने पत्रांक 649/FP/UK/ROAD/23279/2016 दि 5.9.2018 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट 529/वनभूमि/2021–22 दि 25.06.2021 द्वारा तकनीकी निराकरण करने हेतु लिखा गया है। परन्तु Form-A Section A -1B 2-4 वर्तमान तक लॉक है।
2	बिन्दु क्र0 4 के सापेक्ष, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी0ए0 योजना में चयनित क्षेत्र के लिए digital map एवं अन्य details जैसे species में नाम इत्यादि प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी0ए0 योजना में चयनित क्षेत्र के लिए Digital Map, Form A Section L-(VI) में अपलोड कर दिया गया है।
3	सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्त सं0 01 के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित	सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्त सं0 01 के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कार्यालय जिलाधिकारी के

	क्षेत्र आरक्षित वन /संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, इस दशा में विधिवत स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है, अतः आप से अनुरोध है कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र(सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/सरंक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	पत्रांक 1540/12–ज्येड0ए0सी0/2018 दि0 10.01.2019 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल/सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने का कष्ट करें। (अनुलग्नक– 3.1 एवं 3.2) डायरी नं0 251 दिनांक 15.03.2022 फाइल मार्क

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक 4601 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

A.E
to E.E

प्राप्ती सं० 551
दिनांक 17-5-022
फाइल मार्क

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– / 13-2-01 दिनांक 10/5 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :– **जनपद नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–3) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लाक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/23279/2019)**

संदर्भ :– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी, देहरादून की पत्र संख्या 1681/FP/UK/ROAD/23279/2016 देहरादून दिनांक 10.01.2022 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट की पत्र संख्या 80/वनभूमि/2021–22 दिनांक 01.02.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी/06/07/2018/एफ. सी0/187 दिनांक 31.10.2018 में उल्लिखित बिन्दुओं/शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है –

शर्त संख्या	विवरण	अनुपालन आख्या
1	बिन्दु क्रं 2 के सापेक्ष वर्तमान में नोडल कार्यालय द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 07 की अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।	(मलुवा निस्तारण प्लान) में नाप भूमि PIU स्तर पर लॉक है, जिसकी सूचना कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट के पत्रांक 470/वनभूमि/2018–19 दिनांक 30.08.2018 द्वारा संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को NIC से Open करने हेतु लिखा गया है। इस क्रम में नोडल देहरादून द्वारा NIC को अपने पत्रांक 649/FP/UK/ROAD/23279/2016 दि 5.9.2018 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट 529/वनभूमि/2021–22 दि 25.06.2021 द्वारा तकनीकी निराकरण करने हेतु लिखा गया है। परन्तु Form-A Section A -1B 2-4 वर्तमान तक लॉक है।
2	बिन्दु क्र0 4 के सापेक्ष, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी0ए0 योजना में चयनित क्षेत्र के लिए digital map एवं अन्य details जैसे species में नाम इत्यादि प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 के सापेक्ष प्रस्तुत सी0ए0 योजना में चयनित क्षेत्र के लिए Digital Map, Form A Section L-(VI) में अपलोड कर दिया गया है।
3	सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्त सं0 01 के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित	सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्त सं0 01 के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कार्यालय जिलाधिकारी के

	क्षेत्र आरक्षित वन /संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, इस दशा में विधिवत स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है, अतः आप से अनुरोध है कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र(सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/सरंक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	पत्रांक 1540/12–ज्येड0ए0सी0/2018 दि0 10.01.2019 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल/सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने का कष्ट करें। (अनुलग्नक– 3.1 एवं 3.2)

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक 5242/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

A.C.F
E.E

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई.
ज्योलीकोट (नैनीताल)
E-mail: pmgsyjeyolikot@rediffmail.com/ ntl.pmgsy@gmail.com दूरभाष नं0 / फैक्स नं0 :– 05942–224034

संलग्नक–1

पत्रांक : 470 /वनभूमि/ 2018–19 दिनांक 30–08– 2018

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय इन्दिरानगर फारेस्ट
कालौनी उत्तराखंण्ड देहरादून

विषय– Proposal no. FP/UK/ROAD/23279/2016 लोहाली थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– E D S dated 3-7-2018

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि EDS के माध्यम से 14 बिन्दु पर आपत्तियॉ लगाई गयी थी। जिसमे बिन्दु संख्या –04 में मलवा निस्तारण प्लान में पार्ट–1 बी 2.4 नाप भूमि अपलोड नही हो पा रही है। अन्य बिन्दुओं का निराकरण कर लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि अपने स्तर से NIC को पार्ट–1 बी 2.4 को खोलने हेतु मेल करने की कृपा करें । मेल की प्रति इस कार्यालय को भी अग्रसारित करने की कृपा करें। जिससे उक्त आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव अपलोड किया जा सके।

भवदीय

(के0एस0बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
सि.ख., पी.एम.जी.एस.वाई.
ज्योलीकोट (नैनीताल)

पत्रांक 797
दिनांक 22-09-18

अनुलग्नक-2

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– / FP/UK/ROAD/23279/2016 :देहरादूनःदिनांकः 05 सितम्बर, 2018

सेवा में,

वन महानिरीक्षक, तदर्थ कैम्पा, (एफ0सी0)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कमरा नं0–A-361 IIIrd floor,
अग्नी ब्लाक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली, पिन–110003।

विषयः– जनपद–नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लोहाली थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट, नैनीताल का पत्रांक 470/वनभूमि/2018–19 दिनांक 30–08–2018। (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट, नैनीताल के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे उनके द्वारा सूचित किया गया है कि प्रकरण में भारत सरकार की EDS के माध्यम से 14 बिन्दुओं पर आपत्तियॉ लगाई गयी थीं, जिसके बिन्दु संख्या–4 में मलवा निस्तारण प्लान, पार्ट–1 बी 2.4 में नाप भूमि अपलोड नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि वांछित अन्य बिन्दुओं का निराकरण कर दिया गया है।

अतः अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट, नैनीताल के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्तानुसार प्रकरण में पार्ट–1 बी 2.4 में नाप भूमि, (मलवा निस्तारण प्लान) अपलोड करने में आ रही तकनीकी कठिनाई का निराकरण करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 649 / FP/UK/ROAD/23279/2016 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि निदेशक, एन0आई0सी0, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं0–A-361 IIIrd floor, अग्नी ब्लाक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
3. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी खराबी को ठीक कराने हेतु अपने स्तर से भारत सरकार, एनआईसी, दिल्ली में सम्पर्क कर उक्त कठिनाई को ठीक कराने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

Email ID :-eepmgsyjyolikot@rediffmail.com/ ntlpmgsy01@gmail.com

पत्रांक : 529 /वनभूमि/2021–22 दिनांकः 25 जून, 2021

सेवा में,

निदेशक,
एन0आई0सी0, भारत सरकार,
पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय,
कमरा नं0–A – 361 IIIrd Floor
अग्नी ब्लाक, इन्दिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली

विषयः– **जनपद–नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–VIII) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 2548/FP/UK/ROAD/23279 /2016) dated 06-04-2021**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रकरण पर आ रही तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु लिखा गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि Form-A Part- I section A -1 B 2.4 में (मलुवा निस्तारण प्लान) नाप–भूमि PIU स्तर पर लॉक हैं, जिस हेतु नोडल अधिकारी देहरादून ने पूर्व में अपने पत्रांक 649/FP/UK/ROAD/23279/2016 दि0 05.09.2018 द्वारा तकनीकी कठिनाई का निराकरण करने हेतु लिखा गया था, परन्तु Form-A Part- I section A-1B 2.4 वर्तमान तक लॉक है।

अतः आपसे निवेदन है कि Form-A Part- I section A-1B 2.4 नाम भूमि (मलुवा निस्तारण प्लान) अपलोड करने में आ रही तकनीकी कठिनाईयों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृत हेतु भारत सरकार को लिखा जाय।

भवदीय

(के0एस0बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0- पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

पत्रांकः– 529 /वनभूमि/2021–22 तद् दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर आ रही तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु अपने स्तर से एन0आई0सी0 भारत सरकार को लिखने की कृपा करे।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर आ रही तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु अपने स्तर से एन0आई0सी0 भारत सरकार को लिखने की कृपा करे।

(के0एस0बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, पी0एम0जी0एस0वाई0
ज्योलीकोट (नैनीताल)

अनुलग्नक 2

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Range Boundary
- Division Boundary

ScaleBar

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

km

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

अनुलग्नक-3.1
पेज-(1-4)

डायरी 1175
दिनांक 17-1-19

आदेश

उपजिलाधिकारी कोश्याकुँटोली के पत्र संख्या 39/र0का0/2018–19 दिनाक 21 दिसम्बर, 2018 के क्रम में लोहाली से थुवाब्लाक हेतु मोटर मार्ग हेतु वन पंचायत हरिनगर हरतोला के नाम दर्ज 14.028 है0 भूमि में से 9.975 है0 गैर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3) के खाता संख्या 69 के खसरा न0 302 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

उक्त क्रम में सचिव राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 111/XXViii(7) 50(39)2015/ 2014 दिनाक 9 जुलाई 2015 में यह भी उल्लेख किया गया है जिन योजनाओं पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और उनका कियान्वयन भूमि की अनुल्बधता के कारण नही हो पा रहा है उन परियोजनाओं/भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि (प्रशासकीय विभाग की भूमि को छोडकर) एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तान्तरित करने का अधिकार तत्काल प्रभाव से पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश दिनाक 15 फरवरी 2002 में निहित शर्तो के अधीन जिलाधिकारियों को प्रदान किया जाता है।

अतः शासनादेश संख्या 111/XXViii(7) 50(39)2015/ 2014 दिनाक 9 जुलाई 2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 50(39)2015/ दिनाक 30.07.2015 एवं उपजिलाधिकारी कोश्याकुँटोली के पत्र संख्या 39/र0का0/2018–19 दिनाक 21 दिसम्बर, 2018 के क्रम में लोहाली से थुवाब्लाक मोटर मार्ग हेतु वन पंचायत हरिनगर हरतोला की गैर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3) ड के खाता संख्या 69 के अन्तर्गत बंजर भूमि के खसरा नम्बर 302 रकबा 14.028 है0 भूमि मध्ये रकबा 9.975 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार आदेश का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो।

ह0/–
(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्रॉक 1540/12–ज्यड0ए0सी0/2018
प्रतिलिपि–

दिनॉक 10 जनवरी 2019

1– प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।
2– अधिशासी अभियन्ता सि0ख0 पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट, नैनीताल।
3– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार कोश्याकुँटोली को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में आदेश का अंकन करने के उपरान्त खतौनी की प्रति याचक विभाग को प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी
नैनीताल।

Raby J.A

उद्धरण खतौनी नॉन ज्येड०ए०

ग्राम हरिनगर हल्दयोला परगना धनियाकोट तहसील कोश्यॉं कुटौली, जिला नैनीताल, फसली वर्ष 1417 से 1422 फसली तक

क्रम सं०	खातेदार का नाम व पिता का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	लगान	विवरण
1	2	3	4	5	6	07–13
	श्रेणी 9(3)(3) कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि:					जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के आदेश पत्रांक 1544/12 उ०जि० रा० लि०/2018 दिनांक 10.1.2019 के अनुसार शासनादेश संख्या 111/XXVIII(7)50(39)2015/2019 दिनांक 9 जुलाई 2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II)50(39)2015 दिनांक 30.7.2015 तथा उपजिलाधिकारी कोश्यॉं कुटौली के पत्र संख्या 39/रा०ना०/2018-19 दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के क्रम में लोहाली से मुक्तेश्वर मोटर मार्ग हेतु वन पंचायत हरिनगर हल्दयोला की गैर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3)(3) के खाता संख्या 69 के अन्तर्गत बंजर भूमि के खसरा नम्बर 302 रकबा 14.028 है० भूमि में से रकबा 9.975 है० भूमि को प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है तद्नुसार अमलदरामद किया गया।
69	वन पंचायत	–	302 म	14.028		
			1090 म	2.014		
			1091 म	6.058		
			1163 म	0.100		
		योग	4	22.200		ह० अ० ज० रा०नि० 16-1-19 — (हस्ताक्षर) 17-1-19 रा०उ०नि० कोश्यॉं

नकल खतौनी असल से नकल कर तैयार की।

(हस्ताक्षर)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र — छड़ा(?)
तहसील कोश्यॉं कुटौली

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/23279/2016 योजना जनपद नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–3) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लॉक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त 9.975 है0 भूमि (सिविल / सोयम / बंजर / अवनत वन / अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक 1540 / 12–ज्येड0ए0सी0 / 2018 दिनांक 10.01.2019 से हस्तान्तरित / आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा–4 / 20 / 29 के अन्तर्गत संरक्षित / आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कार्यालय वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल
पत्रांक / दिनांक

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड नैनीताल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।